

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
25.06'12	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, अरवल ।</u></p> <p style="text-align: center;">बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009 वाद संख्या-15/2012 राम कुमार सिंह वगैरह बनाम् देव नन्दन सिंह वगैरह</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद राम कुमार सिंह, पिता-स्व० लालधारी महतो, ग्राम-सरवरपुर, टोला-बन्धु विगहा, पोस्ट-सरवरपुर, थाना-महेन्दिया, जिला-अरवल के द्वारा वाद में वर्णित खाते, प्लॉट एवं रकबा के विरुद्ध लाई गई है। यह विवादित भूमि मौजा-सरवरपुर, टोला-बन्धु विगहा, थाना-महेन्दिया, जिला-अरवल में है। उभय पक्ष नोटिस तामिला के पश्चात् उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा आपत्ति समर्पित किया गया। तदोपरान्त अभिलेख को सुनवाई पर रखा गया एवं उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनकर आदेश पर रखा गया।</p> <p>प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष का कहना है कि उभय पक्ष एक ही खानदान के हैं और आपस में रिश्ते में वादीगण के विपक्षीगण चचेरे चाचा लगते हैं।</p> <p>साथ ही साथ प्रथम पक्ष का यह कहना है कि प्रथम पक्ष के परदादा स्व० बीगन सिंह थे और द्वितीय पक्ष के दादा स्व० बीगन सिंह थे। हमलोग के पूर्वज रधुवर, मुसन सिंह एवं खेमन सिंह के बीच एक तक्सीसनामा (बटंबारा) वर्ष 1944 में बजाप्ता रजिस्ट्री कंवाला सं०-3740 के माध्यम से हुआ।</p> <p>साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि खेमन महतो तीन भाई (1) दशरथ सिंह (2) खेमन सिंह एवं (3) जानकी सिंह थे। दशरथ सिंह एवं खेमन सिंह एक साथ (संयुक्त) में रहते थे तथा जानकी सिंह औरंगाबाद के वेला बडोखवर में ससुरारी तड़का मिला था। तब से वे वहीं रहते थे तथा सम्पूर्ण खानदानी सम्पत्ति अपने दोनों भाई दशरथ एवं खेमन के नाम पर सिड्यूल बना। खेमन सिंह का बेटा विपक्षी है तथा दशरथ सिंह का बेटा प्रार्थी है।</p>	

Ar

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जमीन्दारी व्यवस्था में लगान प्रार्थी के परदादा एवं प्रतिवादी के दादा विगन सिंह दिया करते थे। वर्ष 1940-42 से राजस्व रसीद इनके नाम है। वर्ष 1944 से जमीन्दारी रसीद दशरथ गोप के नाम से कटने लगा तथा डीमाण्ड पर इनका नाम चढ़ा तथा दशरथ सिंह एवं खेमन गोप के नाम अंचल रसीद आज भी सम्पूर्ण भूमि का कट रहा है लेकिन खानदानी जमीन का आधे-आधे हिस्सा का बंटवारा कर जोत-कोड़ आबाद कर रहे हैं एवं डीमाण्ड भी दोनों भाईयों के नाम है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि में वादी एवं प्रतिवादी आधे के हिस्सेदार हैं।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि तकवन्दी पदाधिकारी के द्वारा दोनों के बीच यानि दशरथ एवं खेमन के बीच समान अंश बताया है और हाल सर्वे में दोनों का नाम अंकित है।

साथ ही साथ वर्ष 1975 में खेमन गोप एवं दशरथ गोप, पिता-बीगन सिंह द्वारा कुछ भूमि बिक्री की गई थी जो तकसीसनामे की भूमि है जिससे भी स्पष्ट है कि तकसीसनामे की भूमि उभय पक्षों की है तथा आवेदक गण को भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल-कब्जा है तथा विपक्षी इधर परेशान कर रहे हैं।

इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी के भूमि को मापी कराकर चिन्हित करा दी जाय।

जबकि द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त तकसीसनामा (बंटवारा) से स्पष्ट होता है कि सिड्यूल नं0-1, रधुवर महतो का हिस्सा पड़ता है व सिड्यूल नं0-2 खेमन महतो का एवं सिड्यूल नं0-3 भूषण महतो के नाम से है। उसमें दशरथ महतो या उसके पिता-विगन महतो का कहीं भी नाम नहीं है।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि खेमन महतो के पिता-विगन महतो बिल्कूल ही भूमिहीन थे। रधुवर महतो अपनी सब के भूमि से खेमन महतो को अपने पैतृक सम्पत्ति से एक हिस्सा दिया जो विधिवत् रजिस्ट्री किस्म वसीका तकसीसनामा के माध्यम से लिखा गया। जिस पर केवल खेमन महतो का हक व अधिकार है। उनके बाद उनके बाल-बच्चों का हक व अधिकार है।


साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि रधुवर महतो के कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्री थी। जिसके कारण अपने कुल अंचल


सम्पत्ति का एक हिस्सा खेमन महतो को दिए थे, जिस पर प्रतिवादी दखल काबिज है। जबकि प्रार्थी भूमि को जबरदस्ती एवं गलत तरीक से हड़पना चाहते हैं।

साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि वादी यह कहते हैं कि विवादित भूमि को जोत-कोड़ आबाद कर रहें है। केवल जोत-कोड़ आबाद करने से किसी को मालिकाना हक नहीं मिलता है जैसा कि आपरेन्ट लॉ है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी जाए।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाद में प्रश्नगत भूमि उभय पक्ष की संयुक्त परिवार की भूमि है। जिसके कारण प्रश्नगत भूमि में उभय पक्ष का हिस्सा बनता है। इसलिए प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, कलेर का निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को मापी कराकर हिस्से के अनुसार विभक्त करा दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, कलेर को भेजें। आदेश से उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
अरवल।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
अरवल।